VIDHAN SABHA MATTER
MOST URGENT/TIME BOUND

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
SEWA KUTIR COMPLEX, KINGWAY CAMP, DELHI-110009

F. No. 60 (17)/DWCD/WEC/VS/2012|163-165 **Dated:** 29 NOV 2019

To

The Dy. Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Sectt.
Old Secretariat, Delhi-110054

Sub.:-Reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 93 raised by Sh. Om Prakash Sharma, Hon'ble MLA.

Sir,

Please find the enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 93 raised by Sh. Om Prakash Sharma, Hon'ble MLA for further necessary action at your end. The reply has been approved by the competent authority.

Yours faithfully,

Encl:- As above.

(Lata Negi)
Dy. Director (WEC)

F. No. 60 (17)/DWCD/WEC/VS/2012|163-165
Dated: 29 NOV 2019

Copy to :-

1. The Secretary to Hon'ble Deputy CM / Minister WCD.
2. The Director (DIP) with 150 set of copies.

(Lata Negi)
Dy. Director (WEC)

LATA NEGI
Deputy Director
Deptt. of Women & Child Development
GNCT of Delhi, New Delhi

Scanned by CamScanner

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
सेवा कुटीर कॉम्पलैक्स, किंग्सवें कैम्प, दिल्ली 110009
(महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)

No. F 60.(17)/DWCD/WEC/VS/2012/163-165 Dated: 29 NOV 2019

अतारांकित प्रश्न संख्या - 93

दिनांक:- 03.12.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री /मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :-

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उतर
क	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वन-स्टॉप सेन्टर स्थापित करने के पीछे क्या उददेश्य थे	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत वर्ष 2014 से दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालो , दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर एवं भारत सरकार द्वारा अपने अस्पतालो में हिसां से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उदेश्य हेतु दो स्तरीय व्यवस्था आधारित वन-स्टॉप सेन्टर स्थापित किये गये थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम 'सखी वन स्टॉप सेन्टर' के अनुसार हिंसा से प्रभावित महिलाओं हेतु 5 सुविधाएँ एक ही छत के नीचे दिये जाने के उदेश्य से वन स्टॉप सेन्टर 'सखी' की स्थापना का कार्य वर्ष 2018-19 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 11 जिलों मे प्रकियाधीन है। दी जाने वाली 5 सुविधाएं निम्न प्रकार है:- 1. मनोवैज्ञानिक-समाजिक परामर्श, 2. कानूनी सहायता, 3. पुलिस सहायता, 4. चिकित्सा देखभाल, 5. अस्थायी आश्रय
ख	इनके लिए फंडिग की क्या व्यवस्था थी	**दो स्तरीय व्यवस्था आधारित 21 वन-स्टॉप सेन्टर की फंडिग व्यवस्था वर्तमान में अस्पतालों द्वारा स्वयं एवं दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा स्वयं की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम वन-स्टॉप सेन्टर 'सखी' के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी 11 जिले में 11 वन-स्टॉप सेन्टर बनाये जाने हेतु फंड की व्यवस्था निर्भया फंड के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है तथा यह फंड जिलाधीश/ जिला कलेक्टर को बैक अकांउटस मे भेजा जायेगा ।**

Scanned by CamScanner

ग	अभी तक सरकार ने कितने वन-स्टॉप- सेन्टर स्थापित किये है और	दो स्तरीय व्यवस्था आधारित वन स्टॉप सेन्टर, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालो मे 13, भारत सरकार द्वारा अस्पतालों में 2 एवं दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला न्यायालय परिसर मे 6 वन- स्टॉप सेन्टर स्थापित किये गये है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्कीम वन-स्टॉप सेन्टर 'सखी' के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी 11 जिले में सें 1 जिला शहादरा में वन-स्टॉप सेन्टर सखी की स्थापना दिनांक 27.11.2019 को की जा चुकी है तथा शेष 10 जिलों में बनाये जाना प्रक्रियाधीन है।
घ	क्या सरकार को निर्भया फंड के अन्तर्गत इस योजना को लागू करने के लिए कुछ राशि आबंटित की गई थी और	हॉं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम वन-स्टॉप सेन्टर 'सखी' के अन्तर्गत राशि निर्भया फंड से आबंटित की गई है ।
ड.	यदि हां तो कितनी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम वन-स्टॉप सेन्टर 'सखी' के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली कें 11 मे से 6 जिलो के जिलाधीश/ जिला कलेक्टर को अब तक 1,52,48,700/- रूपये आवटिंत किये गये है । उक्त के अतिरिक्त 5 जिलो को फंड प्राप्त होना वर्तमान में प्रक्रियाधीन है

(लता नेगी)
उपनिदेशक
(महिला संशक्तिकरण प्रकोष्ठ)

LATA NEGI
Deputy Director

Deptt. of Women & Child Development
GNCT of Delhi, New Delhi

Scanned by CamScanner